

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, जयपुर

डॉ.राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक नम्बर-2,3 जे.एल.एन.मार्ग जयपुर-302017

दूरभाषनम्बर0141-2712993

Email: adpcsmsajaipur@gmail.com

क्रमांक:-एडीपीसी/एसएमएसए/जय/कलस्टर/2025-26/As Per Rajkaj Ref.

दिनांक:- As Per E-Sign

प्रशासनिक, वित्तीय एवं राशि आहरण आदेश

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक: रास्कूशिप/जय/प्रशिक्षण/1798/2025-26/राजकाज रैफ 16255590 दिनांक 09.07.2025 तथा वित्तीय एवं राशि आहरण आदेश क्रमांक रास्कूशिप/जय/प्रशिक्षण/1798/2025-26/राजकाज रैफ 16579325 दिनांक 17.07.2025 क्रम में समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट सत्र 2025-26 के क्रम में Quality Interventions- 3.2 - Training for Inservice Teacher and Head Teachers- 3.2.1 - In-Service Training (IX - XII) 3.2.1.1-Teachers Class XI to XII (Government Schools) अन्तर्गत वर्ष में चार एक दिवसीय कलस्टर स्तरीय कार्यशालाओं के आयोजन हेतु निम्नानुसार Single Nodal Account (SNA) खातों में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् का समग्र शिक्षा के "संचालन पोर्टल" Single Nodal Account (SNA), SBI खाता संख्या **40469910973**, गांधीनगर, जयपुर से आपके ब्लॉक के सम्मुख अंकित आहरण सीमा तक वित्तीय स्वीकृति तथा राशि के आहरण करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

S. No.	Block Name	पीईईओ/यूसीईईओ की संख्या	प्रति पीईईओ/यूसीईईओ को जारी राशि (1500*4=6000 रु.)
1	AMBER	26	156000
2	ANDHI	27	162000
3	BASSI	31	186000
4	CHAKSU	26	156000
5	DUDU	19	114000
6	GOVINDGARH	50	300000
7	JAIPUR EAST	13	78000
8	JAIPUR WEST	12	72000
9	JALSU	34	204000
10	JAMWA RAMGARH	36	216000
11	JHOTWARA	19	114000
12	JHOTWARA CITY	12	72000
13	JOBNER	22	132000
14	KISHANGARH RENWAL	26	156000
15	KOTKHAWADA	21	126000
16	KOTPUTLI	39	234000
17	MADHORAJPURA	19	114000
18	MAUZAMABAD	21	126000
19	PAOTA	31	186000
20	PHAGI	20	120000



21	SAMBHAR LAKE	24	144000
22	SANGANER	33	198000
23	SANGANER CITY	9	54000
24	SHAHPURA	39	234000
25	TUNGA	24	144000
26	VIRATNAGAR	38	228000
		671	4026000

(अक्षरे:—चालीस लाख छब्बीस हजार रू. मात्र)

नोट:— उक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:—

1. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है। व्यय उसी मद में ही किया जावे।
2. उक्त राशि का व्यय वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2025—26 की स्वीकृत अनुसार आवर्ती मद से किया जाना है।
3. इस राशि का व्यय वर्ष 2025—26 के प्रावधान के विरुद्ध किया जाना है।
4. राशि का उपयोग राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम खण्ड 2013 के अनुसार किया जाना आवश्यक है।

(मंजू शर्मा)

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा, जयपुर

प्रतिलिपि:— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, रास्कूलशिप जयपुर।
2. उपायुक्त (गुणवत्ता एवं प्रशिक्षण शिक्षा) रास्कूलशिप जयपुर।
3. सम्बन्धित सीबीईईओ को पालनार्थ।
4. लेखा शाखा स्थानीय कार्यालय को भेजकर लेख है कि ब्लॉकवार लिमिट जारी करना सुनिश्चित करें।
5. रक्षित पत्रावली।

जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा, जयपुर